



Office Address :

Room No. 4, Lohiya Chhayakunj (Chambers)
Jila Adhivakta Association, Gorakhpur (U.P.)

Panel Advocate - Bank of India, PNB, G.D.A., GIDA, UPPCL, MVCC, Other Firm and companies

Non Encumbrances Certificate

Date 18.10.2024

समस्त -

उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण
लखनऊ उत्तर प्रदेश।

विषय - राष्ट्रीनगर विस्तार टाउनशिप एवं स्पोर्ट्स सिटी गोरखपुर जनपद गोरखपुर राजस्व ग्राम -
हामिदपुर, तप्पा खुटहन परगना - हवेली, तहसील - सदर, जिला - गोरखपुर में गोरखपुर विकास
प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में भारमुक्त प्रमाणपत्र -

महोदय,

गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीनगर विस्तार टाउनशिप एवं स्पोर्ट्स सिटी परियोजना
गोरखपुर जनपद गोरखपुर के नाम से राजस्व ग्राम मानबेला, फत्तेपुर, सलेमपुर उर्फ मुगलपुर,
हामिदपुर तथा मिर्जापुर तप्पा - खुटहन, परगना - हवेली, तहसील - सदर, जिला - गोरखपुर
की आराजियात पर प्रस्तावित है।

राजस्व ग्राम हामिदपुर तप्पा खुटहन परगना हवेली तहसील सदर जिला गोरखपुर की योजना
से सम्बन्धित आराजी न01, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 25/1, 25/2, 26, 44, 45, 46, 48, 50मि, 52, 53,
54, 55, 56, 58, 62 का उपनिबन्धक कार्यालय सदर गोरखपुर में मेरे द्वारा आज दिनांक 14.10.
2024 को उपलब्ध Index Register का वर्ष 01.01.2011 से 13.10.2024 तक का निरीक्षण किया
गया। निरीक्षण में योजना की प्रस्तावित आराजियात पर कोई भार (Encumbrances) नहीं पाया
गया।

राजस्व ग्राम मानबेला तप्पा खुटहन परगना हवेली तहसील सदर जिला गोरखपुर की योजना
से सम्बन्धित आराजी न0 697, 699, 688मि, 691मि, 693, 694, 700, 679, 701, 702, 703, 704,
705, 706, 707मि, 716मि, 717मि, 719मि, 720मि, 678, 675, 673, 670, 591, 546, 547, 548, 549,
551, 554मि, 561मि, 563मि, 565, 567मि, 553मि, 568मि, 569मि, 570मि, 571मि, 572, 573, 575मि,
576, 577मि, 580, 581मि, 898मि, 878मि, 880का उपनिबन्धक कार्यालय सदर गोरखपुर में मेरे द्वारा
आज दिनांक 15.10.2024 को उपलब्ध Index Register का वर्ष 01.01.2011 से 13.10.2024 तक
का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में योजना की प्रस्तावित आराजियात पर कोई भार
(Encumbrances) नहीं पाया गया।

राजस्व ग्राम सलेमपुर उर्फ मुगलपुर तप्पा खुटहन परगना हवेली तहसील सदर जिला गोरखपुर
की योजना से सम्बन्धित आराजी न010, 11, 12, 13, 14, 16मि, 17, 19मि, 20, 62, 68मि, 69 का
उपनिबन्धक कार्यालय सदर गोरखपुर में मेरे द्वारा आज दिनांक 16.10.2024 को उपलब्ध Index
Register का वर्ष 01.01.2011 से 15.10.2024 तक का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में योजना
की प्रस्तावित आराजियात पर कोई भार (Encumbrances) नहीं पाया गया।

राजस्व ग्राम फत्तेपुर तप्पा खुटहन परगना हवेली तहसील सदर जिला गोरखपुर की योजना से
सम्बन्धित आराजी न0 1, 02, 3, 04मि, 06मि, 07मि, 08मि, 11मि, 12मि, 13मि, 15मि, 16मि,
17मि, 18मि, 21मि, 22, 23, 24, 32, 35, 36मि, 37मि, 38 मि, 84मि, 85, 90, 91, 92, 93, 94मि, 96मि,
99, 100, 101मि, 108मि, 111मि, 112मि, 118मि, 119मि, 121मि, 123, 125मि का उपनिबन्धक
कार्यालय सदर गोरखपुर में मेरे द्वारा आज दिनांक 16.10.2024 को उपलब्ध Index Register का

Abhishek

वर्ष 01.01.2011 से 15.10.2024 तक का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में योजना की प्रस्तावित आराजियात पर कोई भार (Encumbrances) नहीं पाया गया।

राजस्व ग्राम मिर्जापुर तथा खुटहन परगना हवेली तहसील सदर जिला गोरखपुर की योजना से सम्बन्धित आराजी न0179मि, 180मि, 181मि, 182मि, 183मि, 184मि, 185, 186, 187, 188, 190मि, 191मि, 194, 196मि, 198मि, 200मि, 201, 203मि, 204, 205मि, 206मि, 207, 208, 467मि, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 480, 481, 483, 484, 486, 487, 488, 489, 490, 491 का उपनिबन्धक कार्यालय सदर गोरखपुर में मेरे द्वारा आज दिनांक 17.10.2024 को उपलब्ध Index Register का वर्ष 01.01.2011 से 15.10.2024 तक का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में योजना की प्रस्तावित आराजियात पर कोई भार (Encumbrances) नहीं पाया गया।

प्राधिकरण की अधिग्रहित/कब्जा प्राप्त कुल भूमि रकबा 83.773 हेक्टेयर।

भारमुक्ति प्रमाण उपरोक्तानुसार।

संलग्नक -

1. मुआइना रसीद न0, 2024160030753 दिनांक 14.10.2024
2. मुआइना रसीद न0, 2024160030754 दिनांक 14.10.2024
3. मुआइना रसीद न0, 2024160031034 दिनांक 16.10.2024
4. मुआइना रसीद न0, 2024160031035 दिनांक 16.10.2024
5. मुआइना रसीद न0, 2024160031036 दिनांक 16.10.2024


अभिषेक कुमार उपध्याय

एडवोकेट

पंजीयन सं0 UP/05941/09

Abhishek Kumar Upadhyay
Advocate
Room No.-4, Lohia Chhayakunj (Chhayakunj)
Jila Adhivakta Association, Gorakhpur
Mob. No.-7355786798

प्रस्तुतकर्ता अथवा प्राप्ति द्वारा रखा जाने वाला

उपनिबन्धक सदर प्रथम

क्रम संख्या 2024160030753

गोरखपुर

लेख या प्राप्ति पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक 14/10/2024

प्रस्तुतकर्ता या प्राप्ति का नाम अभिवेक उपाय एडो

लेख का प्रकार मुजबना 2011 वर्ष से 2024 वर्ष तक

प्रतिफल की धराराजि

1. रजिस्ट्रीकरण शुल्क
2. प्रतिनिधित्व शुल्क
3. निरीक्षण या तलाश शुल्क
4. मुद्रांतर के अधिप्राप्ति करने लिए शुल्क
5. कारीधान शुल्क
6. विविध
7. वार्षिक भत्ता

1 से 8 तक का योग

100

शुल्क वसूल करने का दिनांक

14/10/2024

दिनांक जब लेख प्रतिनिधि या तलाश

14/10/2024

प्रमाण पत्र वापस करने के लिए संवार किया

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

उप निबन्धक
प्रथम
गोरखपुर

प्रस्तुतकर्ता अथवा प्राप्ति द्वारा रखा जाने वाला

उपनिबन्धक सटर प्रथम

क्रम संख्या 2024160030754

गोरखपुर

लेख या प्राप्ति पर प्रस्तुत करने का दिनांक 14/10/2024

प्रस्तुतकर्ता या प्राप्ति का नाम अभिषेक उपा- एड-

लेख का प्रकार, मुद्रापत्र 2011 वर्ष से 2024 वर्ष तक

प्रतिफल की धनराशि

1. रजिस्ट्रिकरण शुल्क
2. प्रतिनिधिकरण शुल्क
3. निरीक्षण या तलाश शुल्क
4. मुद्रापत्र के अधिप्राप्ती करण लिए शुल्क
5. कमीशन शुल्क
6. विविध
7. वार्षिक भत्ता

1 से 8 तक का योग

100

शुल्क प्रस्तुत करने का दिनांक

14/10/2024

दिनांक जब लेख प्रतिनिधि का तलाश

14/10/2024

प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए तैयार किया

रजिस्ट्रिकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

उप निबन्धक
प्रथम
गोरखपुर

प्रस्तुतकर्ता अथवा प्राची द्वारा रखा जाने वाला

उपनिबन्धक सदर प्रथम
गोरखपुर

क्रम संख्या : 2024160031034

लेख या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक 16/10/2024

प्रस्तुतकर्ता या प्राची का नाम अभिषेक उपाध्याय

लेख का प्रकार मुआवजा 2011 वर्ष से 2024 वर्ष तक

प्रतिफल की धनराशि

1. रजिस्ट्रीकरण शुल्क
2. प्रतिनिधित्व शुल्क
3. निरीक्षण या तलाश शुल्क
4. मुद्दतार के अधिग्रहणीकरण लिए शुल्क
5. कमीशन शुल्क
6. विविध
7. यात्रिक भत्ता

1 से 6 तक का योग

100

शुल्क वसूल करने का दिनांक

16/10/2024

दिनांक जब लेख प्रतिनिधि या तलाश

16/10/2024

प्रमाण पत्र वापस करने के लिए तैयार किया

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

उप निबन्धक
प्रथम
गोरखपुर

प्रस्तुतकर्ता अवकाश प्रार्थी द्वारा रखा जाने वाला

उपनिबन्धक सदर प्रथम

क्रम संख्या 2024160031035

गोरखपुर

सेख या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक 16/10/2024

प्रस्तुतकर्ता या प्रार्थी का नाम अभिषेक उपा० एड०

सेख का प्रकार: मुलायमा 2011 वर्ष से 2024 वर्ष तक

प्रतिकूल की धनराशि

1. रजिस्ट्रीकरण शुल्क
2. प्रतिनिधित्व शुल्क
3. निरीक्षण या तलाश शुल्क
4. मुकदमा के अधिप्राप्ती करण लिए शुल्क
5. कमीशन शुल्क
6. विधि
7. यात्रिक मत्ता

1 से 6 तक का योग

100

शुल्क वसूल करने का दिनांक

16/10/2024

दिनांक जब सेख प्रतिनिधि या तलाश

16/10/2024

प्रमाण पत्र आपस करने के लिए तैयार किया

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

उप निबन्धक
प्रथम
गोरखपुर

प्रस्तुतकर्ता जयका प्राप्ति द्वारा रखा जाने वाला

उपनिबन्धक सदर प्रथम
गोरखपुर

कम संख्या 2024160031036

लेख या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक 16/10/2024

प्रस्तुतकर्ता या प्रार्थी का नाम अभिषेक उपाध्याय

लेख का प्रकार मुआयना 2011 वर्ष से 2024 वर्ष तक

प्रतिफल की धनराशि

1. रजिस्ट्रीकरण शुल्क
2. प्रतिनिधिकरण शुल्क
3. निरीक्षण या तलाश शुल्क
4. मुकदमा के अधिव्यापी करण लिए शुल्क
5. कमीशन शुल्क
6. विविध
7. यात्रिक भत्ता

1 से 6 तक का योग 100

शुल्क वसूल करने का दिनांक 16/10/2024

दिनांक जय लेख प्रतिनिधि या तलाश 16/10/2024

प्रमाण पत्र वापस करने के लिए तैयार किया

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

उप निबन्धक
प्रथम
गोरखपुर

टीपें और आज्ञायें

प्रभारी भू-अर्जन / सचिव महोदय,

कृपया (1)- राजस्व ग्राम-मानवेला, तप्पा-खुटहन, परगना-हवेली, तहसील-सदर, जनपद-गोरखपुर में स्थित आराजी न०-716 रकबा 0.644 हे०, 675 रकबा 0.259 हे०, 670 रकबा 0.085 हे०, 671 रकबा 0.045 हे० उद्धरण खतीनी 1428-1433 फसली के आदेश के कालम में अमलदरामद गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर के नाम से अंकित है तथा आराजी न०-671 रकबा 0.210 हे० उ०प्र० सरकार/गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर के नाम अंकित है। अन्य आराजी न०-717 रकबा 0.077 हे०, 719 रकबा 0.032 हे०, 571M रकबा 0.300 हे० व 573 रकबा 0.069 हे० उत्तर प्रदेश सरकार आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 के विज्ञप्ति संख्या 4208/9-आ-3-2003-7 एल०ए०-2003 लखनऊ 22 नवम्बर, 2003 को अधिसूचना भू-अर्जन अधिनियम 1894 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1894) की धारा-4(1)/17 के अधीन तथा विज्ञप्ति संख्या 5253/8-आ-3-2004-7 एल०ए०-2003 लखनऊ 28 दिसम्बर, 2004 को अधिसूचना भू-अर्जन अधिनियम 1894 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1894) की धारा-6(1)/17 के अधीन जारी होकर अधिग्रहण की कार्यवाही हो चुकी है जिसके विरुद्ध नामान्तरण की कार्यवाही अवशेष है।

(2)- राजस्व ग्राम-मिर्जापुर, तप्पा-खुटहन, परगना-हवेली, तहसील-सदर, जनपद-गोरखपुर में स्थित आराजी न०-489 रकबा 0.023 हे० उद्धरण खतीनी 1426-1431 फसली के आदेश के कालम में अमलदरामद गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर के नाम से अंकित है। अन्य आराजी न०-186 रकबा 0.032 हे०, 187 रकबा 0.031 हे० उत्तर प्रदेश सरकार आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 के विज्ञप्ति संख्या 353/9-आ-3-2003-08 एल०ए०-2003 लखनऊ 12 जनवरी, 2004 को अधिसूचना भू-अर्जन अधिनियम 1894 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1894) की धारा-4(1)/17 के अधीन तथा विज्ञप्ति संख्या 08/8-3-2005-08 एल०ए०-2003 लखनऊ 07 जनवरी, 2005 को अधिसूचना भू-अर्जन अधिनियम 1894 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1894) की धारा-6(1)/17 के अधीन जारी होकर अधिग्रहण की कार्यवाही हो चुकी है जिसके विरुद्ध नामान्तरण की कार्यवाही अवशेष है।

(3)- राजस्व ग्राम-हमीदपुर, तप्पा-खुटहन, परगना-हवेली, तहसील-सदर, जनपद-गोरखपुर में स्थित आराजी न०-25/1 रकबा 0.057 हे० व 26 रकबा 0.539 हे० उत्तर प्रदेश सरकार आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 के विज्ञप्ति संख्या 3358/9-आ-3-2003-05 एल०ए०-2003 लखनऊ 20 फरवरी, 2004 को अधिसूचना भू-अर्जन अधिनियम 1894 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1894) की धारा-4(1)/17 के अधीन तथा विज्ञप्ति संख्या 09/8-3-2005-05 एल०ए०-2003 लखनऊ 27 जनवरी, 2005 को अधिसूचना भू-अर्जन अधिनियम 1894 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1894) की धारा-6(1)/17 के अधीन जारी होकर अधिग्रहण की कार्यवाही हो चुकी है जिसके विरुद्ध नामान्तरण की कार्यवाही अवशेष है।

2-11-24

12-11-24

ओ० पी० तिमारी

सर्वेयर

नो० धि० ०

तहसीलदार (से० वि०)

गोरखपुर विकास प्राधिकरण

गोरखपुर

13/11/24

सचिव

गोरखपुर विकास प्राधिकरण

गोरखपुर



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (ख)

(परिनिर्णित आदेश)

लखनऊ, शनिवार, 12 नवम्बर, 2003

अवधायन 1, 1925 शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग—3

संख्या 4208/9-आ-3—2003-7 एल०एन०-2003

लखनऊ, 22 नवम्बर, 2003

अधिसूचना

एन० आर० 630

भूमि अधिनियम, 1894 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन, राज्यपाल सर्वसाधारण की सूचना के लिये अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित भूमि की लोक प्रयोजन अर्थात् भुनियोजित विकास योजनान्तर्गत गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा ग्राम मानवेला, परगना हवेली, जिला गोरखपुर में आवासीय कालोनी बनाने के लिये आवश्यकता है।

2—चूँकि राज्यपाल महोदय की राय है कि उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उक्त भूमि पर लागू होते हैं, क्योंकि उक्त भूमि की लोक प्रयोजन अर्थात् भुनियोजित विकास योजनान्तर्गत गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ग्राम मानवेला, परगना हवेली, जिला गोरखपुर में आवासीय कालोनी बनाने के लिये आवश्यकता है और इस आवश्यकता की दृष्टि से यह भी आवश्यक है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-क के अधीन जाँच करने में सम्भावित विलम्ब को कमजोर किया जाये, अतएव, राज्यपाल महोदय उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (4) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 5-क के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।

टिप्पणी—अधिसूचना में उल्लिखित अनुसूची अगली अनुबन्ध के साथ संलग्न की गयी है।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 4208/IX-A-3—2003-7 LA-2003, dated November 22, 2003:

No. 4208/IX-A-3—2003-7 LA-2003

Dated Lucknow, November 22, 2003

Under sub-section (1) of section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 (Act no. 1 of 1894), the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the Schedule below, is needed for a public purpose namely, for the construction of residential colony in village Manvela, pargana Haveli, district Gorakhpur by the Gorakhpur Development Authority, Gorakhpur.

2. The Governor, being of the opinion that the provisions of sub-section (1) of section 17 of the said Act, are applicable to the said land inasmuch as the said land is urgently required, for the construction of residential colony in village Manvela, pargana Haveli, district Gorakhpur by the Gorakhpur Development Authority, as well necessary to eliminate the delay likely to be caused by an inquiry under section 5-A of the said Act, the Governor is further pleased to direct under sub-section (4) of section 17 of the said Act that the provisions of section 5-A of the said Act shall not apply.

अनुसूची

SCHEDULE

जिला District	परगना Pargana	ग्राम Village	प्लॉट संख्या Plot no.	अर्जित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) Area to be Acquired (in Hectares)
1	2	3	4	5
गोरखपुर Gorakhpur	हवेली Haveli	मानवेला Manvela	546	0.591
			547	0.040
			548	0.016
			549	0.749
			551	0.138
			553/1	0.134
			553/2 मि०	0.223
			554 मि०	0.022
			554 मि०	0.022
			554 मि०	0.012
			554 मि०	0.444
			561	0.235
			563 मि०	0.019
			563 मि०	0.329
			565	0.182
			567 मि०	0.354
			568 मि०	0.332
			568 मि०	0.016
			568 मि०	0.016
			568 मि०	0.016
			568 मि०	0.069
			568 मि०	0.353
			568 मि०	0.012
			569 मि०	0.360

2	3	4	5
गोरखपुर— (क्रमशः)	हवेली— (क्रमशः)	भापवेला— (क्रमशः)	570. मि० पू० 0.216
Gorakhpur— (Contd.)	Haveli— (Contd.)	Munvela— (Contd.)	571. मि० पू० 0.300
			572. मि० 0.227
			572. मि० 0.571
			573 0.069
			575 मि० 0.422
			576 मि० 0.067
			576 मि० 1.029
			577 मि० पू० द० 0.268
			580 0.020
			581 मि० पू० द० 1.875
			582 0.089
			583 0.134
			584 0.437
			585 0.251
			587 1.157
			588 मि० पू० उ 0.927
			590 0.028
			591 0.158
			592 0.020
			594 मि० पू० 0.053
			595 0.454
			597 मि० द० पू० 0.430
			598 मि० पू० द० 0.162
			599 मि० पू० 0.522
			601 मि० 0.144
			638 2.416
			639 मि० पू० 2.532
			644 मि० द० म० 0.440
			645 0.101
			646 मि० 0.530
			647 मि० 0.040
			647 मि० पू० द० 0.146
			649 मि० पू० द० 0.527
			651 मि० 0.162
			651 मि० 0.162
			652 0.016
			653 0.113
			654 0.291
			655 0.393
			656 0.506
			657 0.664
			658 0.150
			660 0.036
			667 0.004
			668 मि० पू० 0.874
			669 मि० पू० 0.336
			670 0.085

1	2	3	4	5
ગાંધીપુર—	હવેલી—	માનવોલ—	671	0.255
(ક્રમશઃ)	(ક્રમશઃ)	(ક્રમશઃ)	673	0.652
Gandhipur—	Haveli—	Manvola—	675	0.259
(Contd.)	(Contd.)	(Contd.)	678 મિં	0.198
			678 મિં	0.018
			678 મિં	0.297
			678 મિં	0.081
			679	1.898
			688 મિં પૂં	0.430
			691 મિં પૂં	0.455
			693	0.470
			694	2.128
			695 મિં	0.328
			695 મિં	0.328
			696 મિં	0.100
			696 મિં	0.080
			696 મિં	0.096
			696 મિં	0.160
			696 મિં	0.100
			696 મિં	0.176
			696 મિં	0.160
			696 મિં	0.131
			697 મિં	0.300
			697 મિં	0.300
			699 મિં	0.071
			699 મિં	0.071
			700 મિં	0.160
			700 મિં	0.200
			701	0.421
			702 મિં	0.240
			702 મિં	0.375
			702 મિં	0.125
			703	0.336
			704 મિં	0.254
			704 મિં	0.254
			705	0.089
			706 મિં	0.163
			706 મિં	0.326
			706 મિં	0.163
			707	1.096
			708 મિં પં દં	0.900
			711	0.020
			712	0.231
			714	0.243
			715 મિં	0.073
			715 મિં	0.202
			715 મિં	0.097
			716	0.644
			717	0.077
			719	0.320

2	3	4	5
भारतपुर—	हवेली—	मानवेली—	720 0.486
(कमशः)	(कमशः)	(कमशः)	722 0.097
Coxabjpur—	Haveli—	Manvela—	723 0.045
(Contd.)	(Contd.)	(Contd.)	726 0.057
			727 0.158
			732 मि० 0.484
			732 मि० 0.186
			733 मि० 0.147
			733 मि० 0.247
			736 मि० द० 0.175
			737 मि० 0.125
			737 मि० 0.376
			744 0.170
			745 0.409
			746 0.474
			748 मि० 0.096
			748 मि० 0.234
			748 मि० 0.617
			750 0.304
			751 0.117
			752 0.077
			753 मि० 0.168
			753 मि० 0.188
			753 मि० 0.111
			753 मि० 0.202
			753 मि० 0.125
			753 मि० 0.439
			753 मि० 0.125
			754 0.518
			755 1.821
			756 0.077
			758 0.388
			759 0.267
			760 0.077
			762 मि० 0.231
			762 मि० 0.089
			764 0.085
			765 0.036
			766 0.125
			767 0.008
			768 मि० 0.081
			768 मि० 0.243
			769 0.376
			770 0.247
			772 मि० द० 0.163
			789 मि० द० 0.997
			794 मि० द० 0.563
			795 2.144

1	2	3	4	5
गोरखपुर-	हवेली-	मानवेला-	796-	0.121
(क्रमशः)	(क्रमशः)	(क्रमशः)	797	0.235
Gorakhpur-	Hayeli-	Manvela-	822 मि० उ०	0.520
(Contd.)	(Contd.)	(Contd.)	824 मि०	0.172
			836 मि० उ०	0.182
			838 मि० उ०	0.072
			844 मि० उ०	0.084
			845 मि० उ०	0.080
			845 मि० उ०	0.080
			846 मि० उ०	0.800
			848	0.012
			849	0.134
			850	0.676
			851 मि०	0.032
			851 मि०	0.016
			852	0.806
			853	0.360
			854	0.081
			855 मि०	0.004
			855 मि०	0.008
			855 मि०	0.020
			855 मि०	0.008
			856 मि०	0.198
			856 मि०	0.198
			857	0.283
			858	0.388
			860 मि० उ० पु०	0.264
			862 मि० उ०	0.035
			863	0.352
			864	0.223
			865 मि० उ०	0.391
			867	0.117
			870 मि०	0.105
			870 मि०	0.300
			871	0.336
			872	0.413
			874	0.125
			875	0.194
			876	0.539
			877	1.295
			878 मि०	0.016
			879	0.664
			880	0.016
			881 मि०	0.008
			881 मि०	0.004
			882	0.547
			883 मि०	0.128
			883 मि०	0.968

1	2	3	4	5
गोरखपुर—	हवेली—	मानवेला—	890 मि० पु०	0.104
(समान)	(समान)	(समान)	893 मि० पु०	0.580
Gorakhpur—	Haveli—	Manvela—	895 मि० पु०	0.400
(Concid.)	(Concid.)	(Concid.)	898	0.397
			899 मि०	0.008
			899 मि०	0.004
			899 मि०	0.008
			899 मि०	0.008
			899 मि०	0.004
			899 मि०	0.004
			900 मि० पु०	0.918
			901	0.239
			902 मि०	0.008
			903	0.376
			904	0.239
			906	0.186
			907	0.316
			908	0.567
			909	0.967
			910	0.991
			911	1.574
			913 मि० उ०	0.245
		योग		77.539 हेक्टर
		Total		Hectares

इस प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—सुनियोजित विकास योजनान्तर्गत गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा आवासीय कालोनी बनाने हेतु।

For what purpose required:—For the construction of residential colony under planned development scheme by Gorakhpur Development Authority, Gorakhpur.

टिप्पणी:—भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर, गोरखपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

NOTE:—A site plan of the land may be inspected in the Office of the Collector, Gorakhpur.

आज्ञा है,
जे० एस० मिश्र,
सचिव।

By order,
J. S. MISHRA,
Sachiv,



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी पारिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 21 दिसम्बर, 2004

पौष 7, 1926 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3

संख्या 5253/8-आ-3-20X 4-07एल० ए०-2003

लखनऊ, 28 दिसंबर, 2004

अधिसूचना

प० जा०-635

भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (अधिनियम संख्या 1 एन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) और धारा 17 की उपधारा (4) के अधीन जारी की गयी सरकारी अधिसूचना संख्या 4208/9-आ-3-2003-7एल ए०/2003, दिनांक 22 नवम्बर, 2003 के क्रम में राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन घोषणा करते हैं कि उक्त अधिसूचना में समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित भूमि की लोक प्रयोजन, अर्थात् सुनियोजित विकास योजना के अन्तर्गत प्राप्त-मानवेला परगना हवेली, जिला गोरखपुर में गोरखपुर विकास प्राधिकरण, द्वारा आवासीय कालोनी बनाने के लिए आवश्यकता है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गोरखपुर के कलेक्टर का निर्देश देते हैं कि वे उक्त भूमि का अर्जन करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करें।

2—चूंकि राज्यपाल महोदय का समाधान हो गया है कि यह मामला आवश्यक है इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि अधि धारा 11 के अधीन कोई अधि निर्णय नहीं दिया गया है, गोरखपुर के कलेक्टर उक्त लोक प्रयोजन के लिये नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि पर कब्जा धारा 1 की उपधारा (1) में उल्लिखित सूचना के प्रकाशन से 15 दिन के अन्तराल पर कर सकते हैं।

टिप्पणी—अधिसूचना में उल्लिखित अनुसूची अंग्रेजी अक्षरों के साथ नीचे दी गई है।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 5253/VIII-A-3-2004-07L.A.-2003, dated December 28, 2004 :

No. 5253/VIII-A-3-2004-7L.A.-2003

Dated Lucknow, December 28, 2004

In continuation of Government Notification no. 4208/IX-A-3-20 November 22, 2003 issued Under sub-section (1) of section 4 and sub-section Act 1894 (Act no. 1 of 1894) the Governor is pleased to declare under section 1 satisfied that the land mentioned in schedule below is needed for a public construction of residential Colony at village-Manbela, Pargana-haveli, District-Gorakhpur Development scheme and under section 7 of the said Act to direct the Collector, for the acquisition of the said land.

2. The Governor is being satisfied that the case is one of urgency, sub-section (1) of section 17 of the said Act to direct that the Collector of Gorakhpur under section-11 has been made, may, on the expiration of fifteen days from the mentioned in sub-section (1) of section-9, take possession of the land mentioned the said public purpose:

3-07 L.A/2003, Dated of the land Acquisition of the said Act that he is propose namely, for the Gorakhpur under a planned Gorakhpur to make order

further pleased under Gorakhpur, though no award publication of the notice in the schedule below for

अनुसूची
SCHEDULE

जिला District	परगना Pargana	ग्राम Village	अराजी नम्बर (प्लॉट नं०) Plot no.	अर्जित किए जाने वाले प्लॉट का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) Area to be Acquired in Hectares
1	2	3	4	5
गोरखपुर Gorakhpur	हवेली Haveli	मानवेली Manbela	546	0.591
			547	0.040
			548	0.016
			549	0.749
			551	0.138
			553/1	0.134
			553/2 मि०	0.223
			554 मि०	0.022
			554 मि०	0.022
			554 मि०	0.012
			554 मि०	0.444
			561	0.235
			563 मि०	0.019
			563 मि०	0.329
			565	0.182
			567 मि०	0.354
			568 मि०	0.332
			568 मि०	0.016
			568 मि०	0.016
			568 मि०	0.016
			568 मि०	0.069

1	2	3	4	5
गोरखपुर-	हवेली-	मानवै वा-	568 मि०	0.353
(क्रमशः)	(क्रमशः)	(क्रमशः)	568 मि०	0.012
Gorakhpur—	Haveli—	Manbela—	569 मि०	0.360
(Contd.)	(Contd.)	(Contd.)	570 मि०पू०	0.216
			571 मि०म०	0.300
			572 मि०	0.227
			572 मि०	0.571
			573	0.069
			575 मि०	0.422
			576 मि०	0.067
			576 मि०	1.029
			577 मि०पू०द०	0.268
			580	0.020
			581 मि०पू०द०	1.875
			582	0.089
			583	0.134
			584	0.437
			585	0.251
			587	1.157
			588 मि०पू०उ०	0.927
			590	0.028
			591	0.158
			592	0.020
			594 मि०पू०	0.053
			595	0.454
			597 मि०द०प०	0.430
			598 मि०पू०द०	0.162
			599 मि०पू०	0.522
			601 मि०	0.144
			638	2.416
			639 मि०पू०	2.532
			644 मि०द०प०	0.440
			645	0.101
			646 मि०	0.530
			647 मि०	0.040
			647 मि०पू०द०	0.146
			649 मि०पू०द०	0.527
			651 मि०	0.162
			651 मि०	0.162
			652	0.016
			653	0.113

1	2	3	4	5
गोरखपुर-	हवेली-	मान बेला-	654	0.291
(क्रमशः)	(क्रमशः)	(क्रमशः)	655	0.393
Gorakhpur—	Haveli—	Man Bela—	656	0.506
(Contd.)	(Contd.)	(Contd.)	657	0.664
			658	0.150
			666	0.036
			667	0.004
			668 मि०पू०	0.874
			669 मि०पू०	0.336
			670	0.085
			671	0.255
			673	0.652
			675	0.259
			678 मि०	0.198
			678 मि०	0.018
			678 मि०	0.297
			678 मि०	0.081
			679	1.898
			688 मि०पू०	0.430
			691 मि०पू०	0.455
			693	0.470
			694	2.128
			695 मि०	0.328
			695 मि०	0.328
			696 मि०	0.100
			696 मि०	0.080
			696 मि०	0.096
			696 मि०	0.160
			696 मि०	0.100
			696 मि०	0.176
			696 मि०	0.160
			696 मि०	0.131
			697 मि०	0.300
			697 मि०	0.300
			699 मि०	0.071
			699 मि०	0.071
			700 मि०	0.160
			700 मि०	0.200
			701	0.421
			702 मि०	0.240
			702 मि०	0.375

1	2	3	4	5
गौ (कमरा)	गौली (कमरा)	मानव (कमरा)	702 मि०	0.125
			703	0.336
Gonakpur—	Haveli—	Manbeti—	704 मि०	0.254
(Contd.)	(Contd.)	(Contd.)	704 मि०	0.254
			705	0.089
			706 मि०	0.163
			706 मि०	0.326
			706 मि०	0.163
			707	1.096
			708 मि० ५०५०	0.900
			711	0.020
			712	0.231
			714	0.243
			715 मि०	0.073
			715 मि०	0.202
			715 मि०	0.097
			716	0.644
			717	0.077
			719	0.320
			720	0.486
			722	0.097
			723	0.045
			726	0.057
			727	0.158
			732 मि०	0.484
			732 मि०	0.186
			733 मि०	0.147
			733 मि०	0.247
			736 मि० ५०५०	0.175
			737 मि०	0.125
			737 मि०	0.376
			744	0.170
			745	0.409
			746	0.474
			748 मि०	0.096
			748 मि०	0.234
			748 मि०	0.617
			750	0.304
			751	0.117
			752	0.077

1	2	3	4	5
गोरखपुर-	हवेली-	मानवैला-	753 मि०	0.168
(क्रमशः)	(क्रमशः)	(क्रमशः)	753 मि०	0.188
Gomkhpur—	Haveli—	Mambela—	753 मि०	0.111
(Contd.)	(Contd.)	(Contd.)	753 मि०	0.202
			753 मि०	0.125
			753 मि०	0.439
			753 मि०	0.125
			754	0.518
			755	1.821
			756	0.077
			758	0.388
			759	0.267
			760	0.077
			762 मि०	0.231
			762 मि०	0.089
			764	0.085
			765	0.036
			766	0.125
			767	0.008
			768 मि०	0.081
			768 मि०	0.243
			769	0.376
			770	0.247
			772 मि०द०	0.163
			789 मि०द०	0.997
			794 मि०द०	0.585
			795	2.144
			796	0.121
			797	0.235
			822 मि०उ०	0.520
			824 मि०	0.172
			836 मि०उ०	0.182
			838 मि०उ०	0.072
			844 मि०उ०	0.084
			845 मि०उ०	0.080
			845 मि०उ०	0.080
			846 मि०उ०	0.800
			848	0.012
			849	0.134
			850	0.676
			851 मि०	0.032
			851 मि०	0.016

1	2	3	4	5
गोरखपुर-	हवेली-	मानवेला-	852	0.806
(क्रमशः)	(क्रमशः)	(क्रमशः)	853	0.360
Gonakhpur—	Haveli—	Manbela—	854	0.081
(Contd.)	(Contd.)	(Contd.)	855 मि०	0.004
			855 मि०	0.008
			855 मि०	0.020
			855 मि०	0.008
			856 मि०	0.198
			856 मि०	0.198
			857	0.283
			858	0.388
			860 मि०द०पु०	0.264
			862 मि०उ०	0.035
			863	0.352
			864	0.223
			865 मि०उ०	0.391
			867	0.117
			870 मि०	0.105
			870 मि०	0.300
			871	0.336
			872	0.413
			874	0.125
			875	0.194
			876	0.539
			877	1.295
			878 मि०	0.016
			879	0.664
			880	0.016
			881 मि०	0.008
			881 मि०	0.004
			882	0.547
			883 मि०	0.128
			883 मि०	0.968
			890 मि०पु०	0.104
			893 मि०पु०	0.580
			895 मि०पु०	0.400
			898	0.397
			899 मि०	0.008
			899 मि०	0.004
			899 मि०	0.008
			899 मि०	0.008

1	2	3	4	5
गोरखपुर-	हवेली-	मानवेला-	899 मि०	0.004
(समाप्त)	(समाप्त)	(समाप्त)	899 मि०	0.004
Gorakhpur—	Haveli—	Manbela—	900 मि० पु०	0.918
(Concl'd.)	(Concl'd.)	(Concl'd.)	901	0.239
			902 मि०	0.008
			903	0.376
			904	0.239
			906	0.186
			907	0.316
			908	0.567
			909	0.967
			910	0.991
			911	1.574
			913 मि० उ०	0.245
			Grand Total/कुल यो	77.539
				हेक्टेयर/ Hectares

किस प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—सुनियोजित विकास योजनामार्गत गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा आवश्यकता कालोनी बनाने हेतु।

For what purpose required— For the construction of residential colony under planned Development scheme by Gorakhpur Development Authority, Gorakhpur.

टिप्पणी—भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर गोरखपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

NOTE— A site plan of the land may be inspected in the Office of the Collector Gorakhpur.

आज्ञा से,
डी० एस० मिश्र,
सचिव।

By order,
S. MISHRA,
Sachiv.



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियम आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 12 जनवरी, 2004

पौष 22, 1925 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3

संख्या 353/9-आ-3—2003-08एल०ए०-2003

लखनऊ, 12 जनवरी, 2004

अधि सूचना

प्रा० 26

भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (अधिनियम संख्या 1 जून 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन राज्यपाल सर्वेसाधारण की सूचना के लिए अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गयी सूची में र लेखित भूमि की लोक प्रयोजन अर्थात् सुनियोजित विकास योजनान्तर्गत गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर द्वा 1 ग्राम मिर्जापुर परगना हवेली, तहसील सदर, जिला गोरखपुर में आवसीय कालोनी बनाने के लिये आवश्यकता है।

2-भूमि राज्यपाल महोदय की राय है कि उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उक्त भूमि पर लागू होते हैं, क्योंकि उक्त भूमि की लोक प्रयोजन अर्थात् सुनियोजित विकास योजनान्तर्गत गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा ग्राम मिर्जापुर परगना हवेली, तहसील सदर, जिला गोरखपुर में आवसीय कालोनी बनाने के अत्यधिक आवश्यकता है और इस अत्यधिकता की दृष्टि से यह भी आवश्यक है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-क के अधीन जाँच करने में सम्मति प्राप्त दस्तावेज हो विवर्जित किया जाये, अतएव, राज्यपाल महोदय उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (4) के अधीन यह निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 5-क के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।

टिप्पणी—अधिसूचना में उल्लिखित अनुसूची आंजी अनुवाद के साथ नीचे दी गयी है।

THE Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 353/IX-A-3—2003-8LA-2003, dated January 12, 2004.

No. 353/IX-A-3—2003-8LA-2003

Dated Lucknow, January 12, 2004

UNDER sub-section (1) of section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 (Act no. 1 of 1894), the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the Schedule below, is needed for a public purpose namely, for the residential scheme village Mirzapur, Pargana Haveli, Tehsil Sadar, District Gorakhpur by the Gorakhpur Development Authority Gorakhpur.

2. The Governor, being of the opinion that the provisions of sub-section (1) of section 17 of the said Act are applicable to the said land in as much as the said land is urgently required for the construction of residential colony at village Mirzapur, Pargana Haveli, Tehsil Sadar, District Gorakhpur by the Gorakhpur Development Authority, as well necessary to eliminate the delay likely to be caused by the inquiry under section 5-A of the said Act the Governor is further pleased to direct under sub-section (4) of section 17 of the said Act that the provisions of section 5-A of the said Act shall not apply.

अनुसूची
SCHEDULE

जिला District	परगना Pargana	ग्राम Village	प्लॉट नम्बर Plot no.	अर्जित गाटे (रेक्टर में) Area to be acquired (in hectares)
1	2	3	4	5
गोरखपुर Gorakhpur	हवेली Haveli	मिर्जापुर Mirzapur	179	.063
			180	.111
			181	.079
			182	.079
			183	.161
			184	.081
			185	.013
			186	.032
			187	.031
			188	.114
			190	.165
			191	.163
			193	.066
			194	.389
			196 M	.121
			198	.257
			199	.012
			200	.025
			201	.037
			203	.050
			204	.027
			205	.040
			206	.077
			207	.015
			208	.060

1	2	3	4	5
गोरखपुर-	हठेली-	मिर्जापुर-	209 M	0.0 5
(कमरा)	(कमरा)	(कमरा)	210	0.0 0
Gorakhpur-	Haveli-	Mirzapur-	211	0.1 3
(Contd.)	(Contd.)	(Contd.)	213	0.0 1
			215	0.0 5
			216	0.0 2
			217	0.1 2
			218	0.1 4
			219 M	0.1 2
			219 M	0.1 8
			219 M	0.1 4
			220	0.6 2
			222	0.6 2
			453	0.3 5
			454	0.3 5
			455	0.3 5
			456	0.4 6
			457	0.5 7
			459	0.8 0
			460	0.5 7
			462	0.5 4
			463	0.7 8
			464	0.4 8
			465	0.3 2
			466 M	0.2 4
			466 M	0.0 6
			466 M	0.2 0
			466 M	0.0 4
			466 M	0.1 6
			467 M	0.1 6
			468	0.4 2
			469	0.2 0
			470	0.1 6
			471	0.1 9 5
			472	0.3 1
			473	1.1 1 0
			474	1.0 7 0
			475	1.0 9 8
			476	1.0 9 8
			477	1.1 7 9
			478	1.0 6 1
			480	0.0 4 6 ✓
			481	0.0 8 7
			483	0.0 5 8
			484	0.0 1 2

1	2	3	4	5
गोरखपुर-	हवेली-	मिर्जापुर-	486	0.067
(समाप्त)	(समाप्त)	(समाप्त)	487	0.020
Gorakhpur-	Haveli-	Mirzapur -	488	0.013
(Concl'd)	(Concl'd)	(Concl'd)	489	0.023
			490	0.019
			491	0.024
		योग		5.449 हेक्टेयर
		Total		Hectares

किस प्रयोजन के लिये आवश्यकता है - सुनियोजित विकास योजनान्तर्गत गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा आवासीय कालोनी बनाने हेतु।

For what purpose required :- For construction of residential colony under planned Development scheme by Gorakhpur Development Authority, Gorakhpur.

टिप्पणी :- उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर गोरखपुर के कार्यालय में रखा जा सकता है।

NOTE :- A site plan of the land may be inspected in the office of the Collector, Gorakhpur.

आज्ञा से,
जे० एस० मिश्र,
सचिव।

By order,
J. S. M. SHRA,
Sachiv.



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 7 जनवरी, 2005

पौष 17, 1926 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3

संख्या 08/8-3-2005-08एल०ए०-2003

लखनऊ, 7 जनवरी, 2005

अधिसूचना

प० आ०-7

भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधा (1) और धारा 17 की उपधारा (4) के अधीन जारी की गयी सरकारी अधिसूचना संख्या 353/9-आ-3-2003-08 त० ए०/2003, दिनांक 12 जनवरी, 2004 के क्रम में श्री राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन घोषणा करते कि उनका समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित भूमि की लोक प्रयोजन, अर्थात् सुनियोजित विकास योजनान्तर्गत ग्राम-मिर्जापुर, परगना-हवेली, तहसील-सदर, जिला गोरखपुर में गोरखपुर विभागाधीन प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा आवासीय कालोनी बनाने के लिये आवश्यकता है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गोरखपुर के कलेक्टर को निर्देश देते हैं कि वे उक्त भूमि का अर्जन करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करें।

2—चूंकि श्री राज्यपाल महोदय का समाधान हो गया है कि यह मांगला आत्ययिक है इसलिए वे उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि यद्यपि धारा 11 के अधीन कोई अधिनिर्णय नहीं दिया गया है, गोरखपुर के कलेक्टर उक्त लोक प्रयोजन के लिये नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि पर कब्जा धारा 9 की उपधारा (1) में उल्लिखित सूचना के प्रकाशन से 15 दिन के अवसान पर कर सकते हैं।

टिप्पणी—अधिसूचना में उल्लिखित अनुसूची अंग्रेजी अनुवाद के साथ नीचे दी गई है।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 08/VIII-3-2005-08L.A.-2003, dated January 7, 2005 :

No. 08/VIII-3-2005-08L.A.-2003

Dated Lucknow, January 7, 2005

In continuation of Government Notification no. 353/IX-A-3-2001-08 L.A./2003, Dated January 12, 2004 issued Under sub-section (1) of section 4 and sub-section 17 of the land Acquisition Act 1894 (Act no. 1 of 1894) the Governor is pleased to declare under section 6 of the said Act that he is satisfied that the land mentioned in schedule below is needed for a public purpose namely, for the construction of residential Colony at village-Mirzapur, Pargana-haveli, District-Gorakhpur under a planned Development scheme and under section 7 of the said Act to direct the Collector, Gorakhpur to make order for the acquisition of the said land.

The Governor is being satisfied that the case is one of urgency, is further pleased under sub-section (1) of section 17 of the said Act to direct that the Collector of Gorakhpur, though no award under section-11 has been made, may, on the expiration of fifteen days from the publication of the notice mentioned in sub-section (1) of section-9, take possession of the land mentioned in the schedule below for the said public purpose:

अनुसूची
SCHEDULE

जिला District	परगना Pargana	ग्राम Village	प्लॉट नम्बर (प्लॉट नं०) Plot no.	अर्जित किए जाने वाले प्लॉट का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) Area to be Acquired (in Hectares)
1	2	3	4	5
गोरखपुर Gorakhpur	हवेली Haveli	मिर्जापुर Mirzapur	179	0.063
			180	0.111
			181	0.079
			182	0.079
			183	0.161
			184	0.081
			185	0.013
			186	0.032
			187	0.031
			188	0.114
			190	0.165
			191	0.163
			193	0.066
			194	0.389
			196 मि०	0.121
			198	0.257
			199	0.012
			200	0.025
			201	0.037
			203	0.050
			204	0.027

1	2	3	4	5
गोरखपुर-	हवेली-	मिर्जापुर-	205	0.040
(क्रमशः)	(क्रमशः)	(क्रमशः)	206	0.077
Gorakhpur—	Haveli—	Mirzapur—	207	0.015
(Contd.)	(Contd.)	(Contd.)	208	0.060
			209 मि०	0.065
			210	0.090
			211	0.103
			213	0.041
			215	0.045
			216	0.092
			217	0.182
			218	0.094
			219 मि०	0.012
			219 मि०	0.008
			219 मि०	0.004
			220	0.062
			222	0.062
			453	0.035
			454	0.035
			455	0.035
			456	0.046
			457	0.057
			459	0.180
			460	0.057
			462	0.054
			463	0.078
			464	0.048
			465	0.032
			466 मि०	0.024
			466 मि०	0.006
			466 मि०	0.020
			466 मि०	0.004
			466 मि०	0.016
			467 मि०	0.160
			468	0.042
			469	0.020
			470	0.161
			471	0.195
			472	0.031
			473	0.110
			474	0.070
			475	0.098

1	2	3	4	5
गोरखपुर-	हवेली-	मिर्जापुर-	476	0.098
(समाप्त)	(समाप्त)	(समाप्त)	477	0.179
Gorakhpur—	Haveli—	Mirzapur—	478	0.061
(Concl'd)	(Concl'd)	(Concl'd)	480	0.646
			481	0.087
			483	0.058
			484	0.012
			486	0.067
			487	0.020
			488	0.013
			489	0.023
			490	0.019
			491	0.024
Grand Total/कुल योग				5.449
				हेक्टेयर/ Hectares

किस प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—युनियोजित विकास योजनान्तर्गत गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा आवासीय कालोनी बनाने हेतु।

For what purpose required— For the construction of residential colony under planned Development scheme by Gorakhpur Development Authority, Gorakhpur.

टिप्पणी—भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर गोरखपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

NOTE—A site plan of the land may be inspected in the Office of the Collector, Gorakhpur.

आज्ञा से,
जे०एस० मिश्र,
सचिव।

By order,
J. S. MISHRA,
Sachiv.



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनिमित्त आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 20 फरवरी, 2004

फाल्गुन 01, 1925 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3

संख्या 3358/9-आ-3-2003-5एल०ए०-2003

लखनऊ, 20 फरवरी, 2004

अधिसूचना

प० अ०-100

भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन, राज्यपाल सर्वसाधारण की सूचना के लिए अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित भूमि की लोक प्रयोजन अर्थात् सुनियोजित विकास योजनान्तर्गत गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा ग्राम हमीदपुर, परगना हदेली, जिला गोरखपुर में आवासीय कालोनी बनाने के लिये आवश्यकता है।

2-चूंकि राज्यपाल महोदय की राय है कि उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उक्त भूमि पर लागू होते हैं, क्योंकि उक्त भूमि की लोक प्रयोजन अर्थात् सुनियोजित विकास योजनान्तर्गत गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा ग्राम हमीदपुर, परगना हदेली, जिला गोरखपुर में आवासीय कालोनी बनाने के आत्यधिक आवश्यकता है और इस आवश्यकता की दृष्टि से यह भी आवश्यक है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-क के अधीन जारी करने में सम्भावित विलम्ब को विवर्जित किया जाये, अतएव, राज्यपाल महोदय उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (4) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 5-क के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।

टिप्पणी-अधिसूचना में उल्लिखित अनुसूची अंग्रेजी अनुवाद के साथ नीचे दी गयी है।

THE Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 3358/IX-A-3—2003-5LA-2003, dated February 20, 2004:

No. 3358/IX-A-3—2003-5LA-2003

Dated Lucknow, February 20, 2004

UNDER sub-section (1) of section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 (Act no. 1 of 1894), the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the Schedule below, is needed for a public purpose namely, for the residential scheme in village Hamidpur, Pargana Haveli, district Gorakhpur by the Gorakhpur Development Authority, Gorakhpur.

2. The Governor, being of the opinion that the provisions of sub-section (1) of section 17 of the said Act are applicable to the said land inasmuch as the said land is urgently required for the construction of residential colony at village Hamidpur, Paragana Haveli, district Gorakhpur by the Gorakhpur Development Authority, Gorakhpur as well necessary to eliminate the delay likely to be caused by an inquiry under section 5-A of the said Act the Governor is further pleased to direct under sub-section (4) of section 17 of the said Act that the provisions of section 5-A of the said Act shall not apply.

अनुसूची
SCHEDULE

जिला District	परगना Pargana	ग्राम Village	आराजी नम्बर (प्लॉट नं०) Plot no.	अर्जित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) Area to be acquired (in Hectares)
1	2	3	4	5
गोरखपुर Gorakhpur	हवेली Haveli	हमीदपुर Hamidpur	1	0.045
			2	0.146
			3	0.089
			4	0.334
			5	0.599
			6	0.421
			7	0.918
			25/1	0.057
			25/2	0.004
			26	0.539
			44	0.283
			45	0.142
			46	0.150
			48 M	0.176
			48 M	0.087
			48 M	0.089
			50 M U	1.609
			52 M	0.006 ✓
			52 M	0.024 ✓
			52 M	0.012 ✓
			52 M	0.008 ✓
			52 M	0.016 ✓
			52 M	0.012 ✓
			52 M	0.004 ✓
			52 M	0.004 ✓

1	2	3	4	5
गोरखपुर--	हवेली--	हमीदपुर--	52 M	0.012
(समाप्त)	(समाप्त)	(समाप्त)	52 M	0.024
Gorakhpur--	Haveli--	Hamidpur--	53	0.380
(Conclid.)	(Conclid.)	(Conclid.)	54	0.146
			55 M	0.330
			55 M	0.164
			56	0.154
			58	0.073
			59	0.089
			60	0.239
			61	0.373
			62	0.081
		योग		7.839 हेक्टेयर
		Total		Hectares

किस प्रयोजन हेतु आवश्यक है :- सुनियोजित विकास योजनान्तर्गत गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा आवासीय कॉलोनी बनाने हेतु।

For what purpose required :- For construction of residential colony under planned development scheme by Gorakhpur Development Authority, Gorakhpur.

टिप्पणी :- उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर, गोरखपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

NOTE :- A site plan of the land may be inspected in the office of the Collector, Gorakhpur.

आज्ञा से,
जे० एस० मिश्र,
सचिव।

By order,
J. S. MISHRA,
Sachiv.



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 27 जनवरी, 2005

माघ 7, 1926 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3

संख्या—09/8-3—2005-05एल० ए०—2003

लखनऊ, 27 जनवरी, 2005

अधिसूचना

प० जा०-33

भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) और धारा 17 की उपधारा (4) के अधीन जारी की गयी सरकारी अधिसूचना संख्या 3358/9-आ-3-2003-05एल० ए०/2003 दिनांक 20 फरवरी, 2004 के क्रम में श्री राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन घोषणा करते हैं कि उनका समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित भूमि की लोक प्रयोजन, अर्थात् मुनियोजित विकास योजनान्तर्गत ग्राम-हमीदपुर, परगना हवेती, जिला-गोरखपुर में गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा आवासीय कालोनी बनाने के लिये आवश्यकता है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गोरखपुर के कलेक्टर को निर्देश देते हैं कि वे उक्त भूमि का अर्जन करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करें।

2—चूंकि श्री राज्यपाल महोदय का समाधान हो गया है कि यह मामला आत्ययिक है इसलिए वे उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि यद्यपि धारा 11 के अधीन कोई अभिनिर्णय नहीं दिया गया है, गोरखपुर के कलेक्टर उक्त लोक प्रयोजन के लिये नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि पर कब्जा धारा 9 की उपधारा (1) में उल्लिखित सूचना के प्रकाशन से 15 दिन के अवसान पर कर सकते हैं।

टिप्पणी—अधिसूचना में उल्लिखित अनुसूची अंग्रेजी अनुवाद के साथ नीचे दी गई है।

THE Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 9/VIII-3-2005-05 L.A.-2003, dated January 27, 2005 :

No. 9/VIII-3-2005-05 L.A.-2003

Dated Lucknow, January 27, 2005

In continuation of Government notification no. 3358/9-A-3-2003-05LA-2003 dated February 20, 2004 issued under sub-section (1) of section-4 and sub-section (4) of section 17 of the Land Acquisition Act, 1894 (Act no. 1 of 1894) the Governor is pleased to declare under section 6 of the said Act that he is satisfied that the land mentioned in schedule below is needed for a public purpose namely, for the construction of residential Colony at village-Hamidpur, Pargana-haveli, District-Gorakhpur under a planned Development scheme and under section 7 of the said Act to direct the Collector, Gorakhpur to make order for the acquisition of the said land.

2. The Governor, being satisfied that the case is one of urgency, is further pleased under sub-section (1) of section 17 of the said Act to direct that the Collector of Gorakhpur though no award under section 11 has been made, may on the expiration of fifteen days from the publication of the notice mentioned in sub-section (1) of section 9 take possession of the land mentioned in the Schedule below for the said public purpose.

अनुसूची

SCHEDULE

जिला	परगना	ग्राम	आराजी नम्बर (प्लॉट नं०)	अर्जित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
District	Pargana	Village	Plot no.	Area to be Acquired (in Hectare)
1	2	3	5	6
गोरखपुर Gorakhpur	हवेली Haveli	हमीदपुर Hamidpur	1	0.045
			2	0.146
			3	0.089
			4	0.334
			5	0.599
			6	0.421
			7	0.913
			25/1	0.057
			25/2	0.004
			26	0.539
			44	0.283
			45	0.142
			46	0.150
			48 मि०	0.176
			48 मि०	0.087
			48 मि०	0.089
			50 मि० उ०	1.609
			52 मि०	0.006
			52 मि०	0.024
			52 मि०	0.012
			52 मि०	0.008

1	2	3	5	6
गोरखपुर (समाप्त)	हवेली (समाप्त)	हमीरपुर (समाप्त)	52 मि०	0.016
Gorakhpur	Haveli	Hamiyapur	52 मि०	0.012
(Concid)	(Concid)	(Concid)	52 मि०	0.004
			52 मि०	0.004
			52 मि०	0.012
			52 मि०	0.024
			53	0.380
			54	0.146
			55 मि०	0.330
			55 मि०	0.164
			56	0.154
			58	0.073
			59	0.089
			60	0.239
			61	0.373
			62	0.081
कुल योग Grand Total				7.839 हेक्टे०/Hee.

किस प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सुनियोजित विकास योजनामार्ग गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा आवासीय कॉलोनी बनाने हेतु।

For what purpose required—For the construction of residential colony under planned Development scheme by Gorakhpur Development Authority, Gorakhpur.

टिप्पणी—भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर गोरखपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

NOTE :- A site plan of the land may be inspected in the Office of the Collector, Gorakhpur.

आज्ञा से,
जे० एस० मिश्र,
सचिव।

By order,
J. S. MISHRA,
Secretary.



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CS 335236

To Whomsoever it May Concern

It is certified that regarding 'Rapti Nagar Vistar Township and Sports City' Project situated at Rapti Nagar, Gorakhpur no construction will be done on Khasra No 16(mi), 568,716, 717, 719, 675, 670, 671, 571, 573, 186, 187, 489, 25/1 and 26 of villages Manbela, Fatteypur, Salempur urf Mugalpur and Hamidpur, Tehsil-Sadar, district-Gorakhpur without getting title in Revenue Record by Gorakhpur Development Authority, Gorakhpur.



Sail
सचिव
(U.P. Singh) *गोरखपुर विकास प्राधिकरण*
Secretary,
गोरखपुर

Gorakhpur Development Authority,
Gorakhpur.

- 1- S. No. 48 *Kan*
- 2- Deponent *G.D.A. Gorakhpur*
- 3- Identified by *S.P. Mishra*
- 4- Attested by S.P. Mishra
..... *Magistrate Gkn*

१५ — ४०१०९९/१९/२४ सचिव गोरखपुर विभाग प्रमुख 
गोरखपुर


गोरख नाथ
स्टाम्प विक्रेता
ली.नं.-124, दिवांगी कचहरी (गोरखपुर)

भार मुक्त प्रमाण-पत्र
(रजि० मैनुअल के नियम 328)

श्री- अभिषेक उपाध्याय एडवोकेट पुत्र- अवधेश तहसील गोरखपुर जिला गोरखपुर ने निम्नलिखित सम्पत्ति से सम्बन्धित प्रपत्रों द्वारा प्रस्तुत भार मुद्रित प्रमाण पत्र हेतु प्राथना पत्र प्रस्तुत किया है।

सम्पत्ति का विवरण : ग्राम/मोहल्ला - मानबेला, वार्ड/परगना- हवेली, आवासीय- गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर, मौजा मानबेला तपा खुटहन परगना हवेली तहसील सदर जिला गोरखपुर आराजी न 568मि 573 571 671 670 675 719 717 716, आराजी न 716 717 719

मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हू कि ईन्डेक्स सं 02 तथा उससे सम्बन्धित सूची प्रपत्रों की तलाश दिनांक 26/11/2012 से दिनांक 25/11/2024 तक उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में की गयी जिसमें निम्नलिखित भार पाये गये

कोई भार नहीं पाया गया

दिनांक :28-11-2024

- नोट - 1. इस प्रमाण-पत्र के समस्त विवरण आवेदक द्वारा दिए गए संपत्ति के ब्यौरे के आधार पर डूँडे गए हैं। यदि रजिस्ट्रीकृत लेखपत्र में संपत्ति को आवेदक द्वारा आवेदन में दिये गए वर्णन से किसी दूसरे ढंग से वर्णित किया गया हो तो ऐसे लेखपत्रों से प्राप्त सूचना को प्रमाण पत्र में दर्ज नहीं किया जायेगा।
2. वांछित तलाश कार्यालय द्वारा यथासंभव सावधानी के साथ किया गया है, और विभाग प्रमाणपत्र में शामिल सूचना के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
3. इस प्रमाण-पत्र में उन लेखपत्रों से सम्बंधित सूचना शामिल नहीं है जो प्रस्तुत हो चुके हैं, परन्तु जिनका आज की तारीख तक रजिस्ट्रीकरण नहीं हुआ है।
4. यह प्रमाण-पत्र किसी संपत्ति के स्वत्व का प्रमाण नहीं है।

तलाशकर्ता एवं प्रमाण पत्र बनाने वाले निबन्धन लिपिक: **मीरा मल्ल निबन्धन लिपिक।**

मिलान करने वाले निबन्धन लिपिक: **मीरा मल्ल निबन्धन लिपिक।**

उपनिबन्धक सदर प्रथम
गोरखपुर

आवेदन संख्या :2202416004381

प्रमाण संख्या :22024160004206

भार मुक्त प्रमाण-पत्र
(रजि० मैनुअल के नियम 328)

श्री- अभिषेक उपाध्याय एडवोकेट पुत्र- अवधेश उपाध्याय तहसील गोरखपुर जिला गोरखपुर ने निम्नलिखित सम्पत्ति से सम्बन्धित प्रपत्रों/द्वारा प्रस्तुत भार मुद्रित प्रमाण पत्र हेतु प्राथना पत्र प्रस्तुत किया है।

सम्पत्ति का विवरण : ग्राम/मोहल्ला - मिर्जापुर, वार्ड/परगना- मिर्जापुर, आवासीय- गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर, मौजा मिर्जापुर तप्पा खुटहन परगना हवेली तहसील सदर जिला गोरखपुर, आराजी न 186 187 489

मै एतद्वारा प्रमाणित करता हू कि इंडेक्स सं 02 तथा उससे सम्बन्धित सूची प्रपत्रों की तलाश दिनांक 26/11/2012 से दिनांक 25/11/2024 तक उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में की गयी जिसमें निम्नलिखित भार पाये गये

कोई भार नहीं पाया गया

दिनांक :28-11-2024

- नोट - 1. इस प्रमाण-पत्र के समस्त विवरण आवेदक द्वारा दिए गए संपत्ति के ब्यौरे के आधार पर दूँडे गए हैं। यदि रजिस्ट्रीकृत लेखपत्र में संपत्ति को आवेदक द्वारा आवेदन में दिये गए वर्णन से किसी दूसरे ढंग से वर्णित किया गया हो तो ऐसे लेखपत्रों से प्राप्त सूचना को प्रमाण पत्र में दर्ज नहीं किया जायेगा।
2. वांछित तलाश कार्यालय द्वारा यथासंभव सावधानी के साथ किया गया है, और विभाग प्रमाणपत्र में शामिल सूचना के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
3. इस प्रमाण-पत्र में उन लेखपत्रों से सम्बन्धित सूचना शामिल नहीं है जो प्रस्तुत हो चुके हैं, परन्तु जिनका आज की तारीख तक रजिस्ट्रीकरण नहीं हुआ है।
4. यह प्रमाण-पत्र किसी संपत्ति के स्वत्व का प्रमाण नहीं है।

तलाशकर्ता एवं प्रमाण पत्र बनाने वाले निबन्धन लिपिक: **मीरा मल्ल निबन्धन लिपिक।**

मिलान करने वाले निबन्धन लिपिक: **मीरा मल्ल निबन्धन लिपिक।**

उपनिबन्धक सदर प्रथम
गोरखपुर

आवेदन संख्या :2202416004382

प्रमाण संख्या :22024160004207

भार मुक्त प्रमाण-पत्र
(रजि० मैनुअल के नियम 328)

श्री- अभिषेक उपाध्याय एडवोकेट पुत्र- अवधेश उपाध्याय तहसील गोरखपुर जिला गोरखपुर ने निम्नलिखित सम्पत्ति से सम्बन्धित प्रपत्रों/द्वारा प्रस्तुत भार मुद्रित प्रमाण पत्र हेतु प्राथना पत्र प्रस्तुत किया है।

सम्पत्ति का विवरण : ग्राम/मोहल्ला - हमीदपुर, वार्ड/परगना- हवेली, आवासीय- गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर, मौजा हमीदपुर तप्पा खुटहन परगना हवेली तहसील सदर जिला गोरखपुर, आराजी न 25/1 26

मै एतद्वारा प्रमाणित करता हू कि इंडेक्स सं 02 तथा उससे सम्बन्धित सूची प्रपत्रों की तलाश दिनांक 26/11/2012 से दिनांक 25/11/2024 तक उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में की गयी जिसमें निम्नलिखित भार पाये गये

कोई भार नहीं पाया गया

दिनांक :28-11-2024

- नोट - 1. इस प्रमाण-पत्र के समस्त विवरण आवेदक द्वारा दिए गए संपत्ति के ब्यौरे के आधार पर ढूँढे गए हैं। यदि रजिस्ट्रीकृत लेखपत्र में संपत्ति को आवेदक द्वारा आवेदन में दिये गए वर्णन से किसी दूसरे ढंग से वर्णित किया गया हो तो ऐसे लेखपत्रों से प्राप्त सूचना को प्रमाण पत्र में दर्ज नहीं किया जायेगा।
2. वांछित तलाश कार्यालय द्वारा यथासंभव सावधानी के साथ किया गया है, और विभाग प्रमाणपत्र में शामिल सूचना के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
3. इस प्रमाण-पत्र में उन लेखपत्रों से सम्बन्धित सूचना शामिल नहीं है जो प्रस्तुत हो चुके हैं, परन्तु जिनका आज की तारीख तक रजिस्ट्रीकरण नहीं हुआ है।
4. यह प्रमाण-पत्र किसी संपत्ति के स्वत्व का प्रमाण नहीं है।

तलाशकर्ता एवं प्रमाण पत्र बनाने वाले निबन्धन लिपिक: **मीरा मल्ल निबन्धन लिपिक।**

मिलान करने वाले निबन्धन लिपिक: **मीरा मल्ल निबन्धन लिपिक।**

उपनिबन्धक सदर प्रथम
गोरखपुर

भार मुक्त प्रमाण-पत्र
(रजि० मैनुअल के नियम 328)

श्री- अभिषेक उपाध्याय एडवोकेट पुत्र- अवधेश उपाध्याय तहसील गोरखपुर जिला गोरखपुर ने निम्नलिखित सम्पत्ति से सम्बन्धित प्रपत्रों/द्वारा प्रस्तुत भार मुद्रित प्रमाण पत्र हेतु प्राथना पत्र प्रस्तुत किया है।

सम्पत्ति का विवरण : ग्राम/मोहल्ला - फत्तेपुर, वार्ड/परगना- हवेली, आवासीय- गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर, मौजा फत्तेपुर परगना हवेली तहसील सदर जिला गोरखपुर, आराजी न 16 मि

मै एतद्वारा प्रमाणित करता हू कि इंडेक्स सं 02 तथा उससे सम्बन्धित सूची प्रपत्रों की तलाश दिनांक 26/11/2012 से दिनांक 25/11/2024 तक उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में की गयी जिसमें निम्नलिखित भार पाये गये

कोई भार नहीं पाया गया

दिनांक :28-11-2024

- नोट - 1. इस प्रमाण-पत्र के समस्त विवरण आवेदक द्वारा दिए गए संपत्ति के ब्यौरे के आधार पर ढूँढे गए हैं। यदि रजिस्ट्रीकृत लेखपत्र में संपत्ति को आवेदक द्वारा आवेदन में दिये गए वर्णन से किसी दूसरे ढंग से वर्णित किया गया हो तो ऐसे लेखपत्रों से प्राप्त सूचना को प्रमाण पत्र में दर्ज नहीं किया जायेगा।
2. वांछित तलाश कार्यालय द्वारा यथासंभव सावधानी के साथ किया गया है, और विभाग प्रमाणपत्र में शामिल सूचना के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
3. इस प्रमाण-पत्र में उन लेखपत्रों से सम्बन्धित सूचना शामिल नहीं है जो प्रस्तुत हो चुके हैं, परन्तु जिनका आज की तारीख तक रजिस्ट्रीकरण नहीं हुआ है।
4. यह प्रमाण-पत्र किसी संपत्ति के स्वत्व का प्रमाण नहीं है।

तलाशकर्ता एवं प्रमाण पत्र बनाने वाले निबन्धन लिपिक: **मीरा मल्ल निबन्धन लिपिक।**

मिलान करने वाले निबन्धन लिपिक: **मीरा मल्ल निबन्धन लिपिक।**

उपनिबन्धक सदर प्रथम
गोरखपुर

भार मुक्त प्रमाण-पत्र
(रजि० मैनुअल के नियम 328)

श्री- अभिषेक उपाध्याय एडवोकेट पुत्र- अवधेश उपाध्याय तहसील गोरखपुर जिला गोरखपुर ने निम्नलिखित सम्पत्ति से सम्बन्धित प्रपत्रों/द्वारा प्रस्तुत भार मुद्रित प्रमाण पत्र हेतु प्राथना पत्र प्रस्तुत किया है।

सम्पत्ति का विवरण : ग्राम/मोहल्ला - हमीदपुर, वार्ड/परगना- हवेली, आवासीय- गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर, मौजा हमीदपुर तप्पा खुटहन परगना हवेली तहसील सदर जिला गोरखपुर आराजी न 1 2 3 4 5 6 7 25/1 25/2 26 44 45 46 48 50मि 52 53 54 55 56 58 62 , आराजी न 56 58 62

मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हू कि इंडेक्स सं 02 तथा उससे सम्बन्धित सूची प्रपत्रों की तलाश दिनांक 28/11/2012 से दिनांक 27/11/2024 तक उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में की गयी जिसमें निम्नलिखित भार पाये गये

कोई भार नहीं पाया गया

दिनांक :29-11-2024

- नोट - 1. इस प्रमाण-पत्र के समस्त विवरण आवेदक द्वारा दिए गए संपत्ति के ब्यौरे के आधार पर डूँढे गए हैं। यदि रजिस्ट्रीकृत लेखपत्र में संपत्ति को आवेदक द्वारा आवेदन में दिये गए वर्णन से किसी दूसरे ढंग से वर्णित किया गया हो तो ऐसे लेखपत्रों से प्राप्त सूचना को प्रमाण पत्र में दर्ज नहीं किया जायेगा।
2. वांछित तलाश कार्यालय द्वारा यथासंभव सावधानी के साथ किया गया है, और विभाग प्रमाणपत्र में शामिल सूचना के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
3. इस प्रमाण-पत्र में उन लेखपत्रों से सम्बंधित सूचना शामिल नहीं है जो प्रस्तुत हो चुके हैं, परन्तु जिनका आज की तारीख तक रजिस्ट्रीकरण नहीं हुआ है।
4. यह प्रमाण-पत्र किसी संपत्ति के स्वत्व का प्रमाण नहीं है।

तलाशकर्ता एवं प्रमाण पत्र बनाने वाले निबन्धन लिपिक: **मीरा मल्ल निबन्धन लिपिक।**

मिलान करने वाले निबन्धन लिपिक: **मीरा मल्ल निबन्धन लिपिक।**

उपनिबन्धक सदर प्रथम
गोरखपुर

भार मुक्त प्रमाण-पत्र
(रजि० मैनुअल के नियम 328)

श्री- अभिषेक उपाध्याय एडवोकेट पुत्र- अवधेश उपाध्याय तहसील गोरखपुर जिला गोरखपुर ने निम्नलिखित सम्पत्ति से सम्बन्धित प्रपत्रों/द्वारा प्रस्तुत भार मुद्रित प्रमाण पत्र हेतु प्राथना पत्र प्रस्तुत किया है।

ग्राम/मोहल्ला - फत्तेपुर, वार्ड/परगना- हवेली, आवासीय- गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर, मौजा फत्तेपुर तप्पा सम्पत्ति का खुटहन परगना हवेली तहसील सदर जिला गोरखपुर आराजी न 1 2 3 4मि 6मि 7 मि 8मि 11मि 12मि 13मि 15मि विवरण : 16मि 17मि 18मि 21मि 22 23 24 32 35 36मि 37 मि 38मि 84मि 85 90 91 92 93 94मि 98 मि 99 100 , आराजी 101मि 108मि

मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हू कि इंडेक्स सं 02 तथा उससे सम्बन्धित सूची प्रपत्रों की तलाश दिनांक 28/11/2012 से दिनांक 27/11/2024 तक उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में की गयी जिसमें निम्नलिखित भार पाये गये

कोई भार नहीं पाया गया

दिनांक :29-11-2024

- नोट - 1. इस प्रमाण-पत्र के समस्त विवरण आवेदक द्वारा दिए गए संपत्ति के ब्यौरे के आधार पर डूँढे गए हैं। यदि रजिस्ट्रीकृत लेखपत्र में संपत्ति को आवेदक द्वारा आवेदन में दिये गए वर्णन से किसी दूसरे ढंग से वर्णित किया गया हो तो ऐसे लेखपत्रों से प्राप्त सूचना को प्रमाण पत्र में दर्ज नहीं किया जायेगा।
2. वांछित तलाश कार्यालय द्वारा यथासंभव सावधानी के साथ किया गया है, और विभाग प्रमाणपत्र में शामिल सूचना के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
3. इस प्रमाण-पत्र में उन लेखपत्रों से सम्बन्धित सूचना शामिल नहीं है जो प्रस्तुत हो चुके हैं, परन्तु जिनका आज की तारीख तक रजिस्ट्रीकरण नहीं हुआ है।
4. यह प्रमाण-पत्र किसी संपत्ति के स्वत्व का प्रमाण नहीं है।

तलाशकर्ता एवं प्रमाण पत्र बनाने वाले निबन्धन लिपिक: **मीरा मल्ल निबन्धन लिपिक।**

मिलान करने वाले निबन्धन लिपिक: **मीरा मल्ल निबन्धन लिपिक।**

उपनिबन्धक सदर प्रथम
गोरखपुर

आवेदन संख्या :2202416004421

प्रमाण संख्या :22024160004214

भार मुक्त प्रमाण-पत्र
(रजि० मैनुअल के नियम 328)

श्री- अभिषेक उपाध्याय एडवोकेट पुत्र- अवधेश उपाध्याय तहसील गोरखपुर जिला गोरखपुर ने निम्नलिखित सम्पत्ति से सम्बन्धित प्रपत्रों/द्वारा प्रस्तुत भार मुद्रित प्रमाण पत्र हेतु प्राथना पत्र प्रस्तुत किया है।

सम्पत्ति का विवरण : ग्राम/मोहल्ला - सलेमपुरउर्फमुगलपुर, वार्ड/परगना- हवेली, आवासीय- गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर ,
मौजा सलेमपुर उर्फ मुगलपुर तप्पा खुटहन परगना हवेली तहसील सदर जिला गोरखपुर आराजी न 10 11 12 13 14
16मि 17 19मि 20 62 68मि 69 , आराजी न 62 69

मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हू कि इंडेक्स सं 02 तथा उससे सम्बन्धित सूची प्रपत्रों की तलाश दिनांक 28/11/2012 से दिनांक 27/11/2024 तक उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में की गयी जिसमें निम्नलिखित भार पाये गये

कोई भार नहीं पाया गया

दिनांक :29-11-2024

- नोट - 1. इस प्रमाण-पत्र के समस्त विवरण आवेदक द्वारा दिए गए संपत्ति के ब्यौरे के आधार पर डूँडे गए हैं। यदि रजिस्ट्रीकृत लेखपत्र में संपत्ति को आवेदक द्वारा आवेदन में दिये गए वर्णन से किसी दूसरे ढंग से वर्णित किया गया हो तो ऐसे लेखपत्रों से प्राप्त सूचना को प्रमाण पत्र में दर्ज नहीं किया जायेगा।
2. वांछित तलाश कार्यालय द्वारा यथासंभव सावधानी के साथ किया गया है, और विभाग प्रमाणपत्र में शामिल सूचना के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
3. इस प्रमाण-पत्र में उन लेखपत्रों से सम्बंधित सूचना शामिल नहीं है जो प्रस्तुत हो चुके हैं, परन्तु जिनका आज की तारीख तक रजिस्ट्रीकरण नहीं हुआ है।
4. यह प्रमाण-पत्र किसी संपत्ति के स्वत्व का प्रमाण नहीं है।

तलाशकर्ता एवं प्रमाण पत्र बनाने वाले निबन्धन लिपिक: **मीरा मल्ल निबन्धन लिपिक।**

मिलान करने वाले निबन्धन लिपिक: **मीरा मल्ल निबन्धन लिपिक।**

उपनिबन्धक सदर प्रथम
गोरखपुर

आवेदन संख्या :2202416004422

प्रमाण संख्या :22024160004215

**भार मुक्त प्रमाण-पत्र
(रजि० मैनुअल के नियम 328)**

श्री- अभिषेक उपाध्याय एडवोकेट पुत्र- अवधेश उपाध्याय तहसील गोरखपुर जिला गोरखपुर ने निम्नलिखित सम्पत्ति से सम्बन्धित प्रपत्रों/द्वारा प्रस्तुत भार मुद्रित प्रमाण पत्र हेतु प्राथना पत्र प्रस्तुत किया है।

ग्राम/मोहल्ला - मिर्जापुर, वार्ड/परगना- मिर्जापुर, आवासीय- गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर, मौजा मिर्जापुर
सम्पत्ति का तप्पा खुटहन परगना हवेली तहसील सदर जिला गोरखपुर आराजी न 179मि 180मि 181मि 182मि 184मि 185 188
विवरण : 190मि 194 196मि 198मि 200 208 467मि 468 469 470 484 486 487 488 490 491 476 477 478 480 481, आराजी न
483 203मि

मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हू कि इंडेक्स सं 02 तथा उससे सम्बन्धित सूची प्रपत्रों की तलाश दिनांक 28/11/2012 से दिनांक 27/11/2024 तक उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में की गयी जिसमें निम्नलिखित भार पाये गये

कोई भार नहीं पाया गया

दिनांक :29-11-2024

- नोट - 1. इस प्रमाण-पत्र के समस्त विवरण आवेदक द्वारा दिए गए संपत्ति के ब्यौरे के आधार पर ढूँढे गए हैं। यदि रजिस्ट्रीकृत लेखपत्र में संपत्ति को आवेदक द्वारा आवेदन में दिये गए वर्णन से किसी दूसरे ढंग से वर्णित किया गया हो तो ऐसे लेखपत्रों से प्राप्त सूचना को प्रमाण पत्र में दर्ज नहीं किया जायेगा।
2. वांछित तलाश कार्यालय द्वारा यथासंभव सावधानी के साथ किया गया है, और विभाग प्रमाणपत्र में शामिल सूचना के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
3. इस प्रमाण-पत्र में उन लेखपत्रों से सम्बन्धित सूचना शामिल नहीं है जो प्रस्तुत हो चुके हैं, परन्तु जिनका आज की तारीख तक रजिस्ट्रीकरण नहीं हुआ है।
4. यह प्रमाण-पत्र किसी संपत्ति के स्वत्व का प्रमाण नहीं है।

तलाशकर्ता एवं प्रमाण पत्र बनाने वाले निबन्धन लिपिक: **मीरा मल्ल निबन्धन लिपिक।**मिलान करने वाले निबन्धन लिपिक: **मीरा मल्ल निबन्धन लिपिक।****उपनिबन्धक सदर प्रथम
गोरखपुर**

भार मुक्त प्रमाण-पत्र
(रजि० मैनुअल के नियम 328)

श्री- अभिषेक उपाध्याय एडवोकेट पुत्र- अवधेश उपाध्याय तहसील गोरखपुर जिला गोरखपुर ने निम्नलिखित सम्पत्ति से सम्बन्धित प्रपत्रों/द्वारा प्रस्तुत भार मुद्रित प्रमाण पत्र हेतु प्राथना पत्र प्रस्तुत किया है।

ग्राम/मोहल्ला - मानबेला, वार्ड/परगना- हवेली, आवासीय- गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर, मानबेला तप्पा सम्पत्ति का खुटहन प हवेली तहसील सदर गोरखपुर आ न 697 699 688मि 691मि 693 694 700 679 701 702 703 704 705 706 विवरण : 707मि 575मि 576 577 580 581मि 898मि 878मि 880 678 591 546मि 547 548 549 551 554मि 561मि 563, आ न 565 567 570मि 568

मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हू कि इंडेक्स सं 02 तथा उससे सम्बन्धित सूची प्रपत्रों की तलाश दिनांक 28/11/2012 से दिनांक 27/11/2024 तक उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में की गयी जिसमें निम्नलिखित भार पाये गये

कोई भार नहीं पाया गया

दिनांक :29-11-2024

- नोट - 1. इस प्रमाण-पत्र के समस्त विवरण आवेदक द्वारा दिए गए संपत्ति के ब्यौरे के आधार पर डूँढे गए हैं। यदि रजिस्ट्रीकृत लेखपत्र में संपत्ति को आवेदक द्वारा आवेदन में दिये गए वर्णन से किसी दूसरे ढंग से वर्णित किया गया हो तो ऐसे लेखपत्रों से प्राप्त सूचना को प्रमाण पत्र में दर्ज नहीं किया जायेगा।
2. वांछित तलाश कार्यालय द्वारा यथासंभव सावधानी के साथ किया गया है, और विभाग प्रमाणपत्र में शामिल सूचना के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
3. इस प्रमाण-पत्र में उन लेखपत्रों से सम्बन्धित सूचना शामिल नहीं है जो प्रस्तुत हो चुके हैं, परन्तु जिनका आज की तारीख तक रजिस्ट्रीकरण नहीं हुआ है।
4. यह प्रमाण-पत्र किसी संपत्ति के स्वत्व का प्रमाण नहीं है।

तलाशकर्ता एवं प्रमाण पत्र बनाने वाले निबन्धन लिपिक: **मीरा मल्ल निबन्धन लिपिक।**

मिलान करने वाले निबन्धन लिपिक: **मीरा मल्ल निबन्धन लिपिक।**

उपनिबन्धक सदर प्रथम
गोरखपुर